

असलम पुत्र अशरफ, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम ऐत्माद सराय, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर।आवेदक अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोगी।

मु.अ.सं.-17/200, सेशन केस संख्या-577 सन 2020

अन्तर्गत धारा-8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

थाना-कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत आवेदन

यह द्वितीय जमानत आवेदन अभियुक्त असलम की ओर से उक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त बिना जमानती वारंट के आधार पर दिनांक 29.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल निरुद्ध है।

बचावपक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त इस मामले में पूर्व से जमानत पर था, हाजिर अदालत आता रहा है। अभियुक्त/प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा बिना जमानती वारंट पर दिनांक-29.01.2026 को जेल भेज दिया था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की है, भविष्य में नियत तिथियों पर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः जमानत पर मुक्त कर दिया जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त इस मामले में पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा बिना जमानती वारंट पर दिनांक 29.01.2026 को जेल भेज दिया था। अभियुक्त की ओर से भविष्य में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित आने का आश्वासन दिया गया है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **असलम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **एक लाख रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी राशि की दो नवीन प्रतिभू, तथा इस आशय की अपडरटेकिंग दाखिल करने पर कि वह भविष्य में अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा और न्यायालय में उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करेगा, निष्पादित करने पर उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है।

दिनांक-27.07.2026

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-04, बुलन्दशहर।

आ.ई. डी. संख्या-यू.पी.6400

Steno-Mohammad Usman